संख्या-24/2023/928/एक-1-2023-1-1099/3926/2020

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2023**

विषयः मेसर्स धरमपाल सत्यपाल लि0 द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में हार्टीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना हेतु विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय किए जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-70/12-ए/डी0एल0आर0सी0/2023, दिनांक-26.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मेसर्स धरमपाल सत्यपाल लि0 द्वारा ग्राम चंदन, परगना पुरछपार, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर में हार्टीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना हेतु विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-4 में वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत मेसर्स धरमपाल सत्यपाल लि0 को हार्टीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना हेतु ग्राम चंदन, परगना पुरछपार तहसील सदर, मुजफ्फरनगर में 68.9033 हे0 भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) हार्टीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग इकाई हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम भूमिधरों से आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। यह आदेश किसी भी भूमिधर को उसकी भूमि को विक्रय हेतु बाध्य नहीं करता है।

(2) यदि संस्था उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात हार्टीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग इकाई हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 99/98 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन होगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(8) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित की धारा-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतद् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कम्पनी द्वारा क्रय हेतु प्रस्तावित भूमियों के अधिकार, हित व स्वत्व की वैधता की जांच आधार वर्ष से जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/प्राधिकरणों/मा0 न्यायालयों/ मा0 न्यायाधिकरणों आदि के निर्णय/प्रावधन, उक्त भूमियों, उन पर स्थापित संरचनाओं और कार्यकलापों पर लागू होगा।

(11) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
4. अधिकृत हस्ताक्षरी, मेसर्स धरमपाल सत्यपाल लि0, मुजफ्फरनगर।
5. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in